मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

बी0एन0लहरी मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या- 4 /2014 दिनाँक लखनऊ:जनवरी 14 ,2014

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, इकाई, उ0प्र0।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

विषय:-मा0 उच्च न्यायालय में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में योजित याचिकाओं में प्रस्तरवार आख्या सुनवाई के एक दिन पूर्व प्रत्येक दशा में शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री रिशाद मुर्तजा, शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 07/01/2014 द्वारा यह तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने एवं विवेचना निष्पक्ष रूप से न किये जाने/सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के विरूद्ध याचिकायें योजित की जाती है, जिनकी नोटिस प्राप्त होने के तीसरे दिन मा0 न्यायालय के समक्ष आदेश हेतु सूचीबद्ध होती है।

मा0 न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है कि याचिकायें सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होने की तिथि को प्रत्येक स्थिति में प्रस्तरवार आख्या पत्रावली पर उपलब्ध होना चाहिये।

अत: निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालय से प्राप्त होने वाली नोटिसों पर प्रस्तरवार टिप्पणी तैयार कराकर सुसंगत अभिलेखों सहित सुनवाई की तिथि के एक दिन पूर्व प्रत्येक दशा में शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाय।

यह भी अवगत कराया गया है कि प्राय: जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के सी0यू0जी0 मोबाइल पर शासकीय अधिवक्ता कार्यालय द्वारा सूचना देने हेतु उनके दूरभाष 0522-2627693, 0522-2614761(9415560788/9580906723) से सम्पर्क करने पर काल रिसीव नही की जाती है जिससे मा0 न्यायालय के आदेशों के सम्बन्ध में सूचना/अनुपालन कराने हेतु सम्पर्क नहीं हो पाता है, इस प्रकार सूचना प्राप्त न होने से मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है तथा मा0 न्यायालय द्वारा विपरीत आदेश पारित होने/उच्चाधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश पारित कर दिये जाते है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक(नोडल अधिकारी) को नियत तिथि के एक दिन पूर्व प्रत्येक दशा में प्रस्तरवार टिप्पणी सुसंगत अभिलेखों सहित शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। यदि मा0 न्यायालय द्वारा सूचना के अभाव में कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अंकित नम्बरों से आपके सीयूजी पर कोई सूचना दी जाती है तो उसका अनुपालन समय से सुनिश्चित करायें।

14/1/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।